कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लाक गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/तक./निजी क.हा.के./2026-27/1979(विस्तृत) भोपाल, दिनांक 5-8-2026

निजी क्षेत्र में कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) स्थापित करने हेतु
आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2026-27)

कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाऐं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ''ऑन-लाईन'' आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया -

1. प्रदेश में **कुल 1000** (संलग्न परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के अनुसार)कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) स्थापित किये जाने का लक्ष्य है । **कुल-1000** कृषि यंत्र किराए की दुकान सामान्य के) (CHC)**कुल554-**, अनुसूचित जन जाति के **कुल-182**, अनुसूचित जाति के **कुल209-** तथा एफपीओ के **कुल-55**) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं । योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष **2026-27** हेतु ही वैध रहेंगें । प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि रू.10000/-बैंक ड्राफ्ट के रूप में नीचे बिन्दु क्रमांक-2 में दी गई सूची में उल्लेखित**सहायक कृषि यंत्री** के नाम से बनाया जाना होगा। ऑन-लाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी ।

1.	आवेदन करने की अवधि	-	दिनांक 07 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2.	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण	-	दिनांक 22 अगस्त 2026 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर दिनांक 22 अगस्त को सांय 5.00 बजे से देखी जा सकेंगी।)
3-	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	-	दिनांक 24-25 अगस्त 2026 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक

2. जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदन का जिला	अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है।	संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमाक
1	भोपाल संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, भोपाल''	संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम-बड़वई भोपाल, दूरभाष - 0755-2736200
2	नर्मदापुरम् संभाग के सभी जिले	''सहायक कृषि यंत्री, नर्मदापुरम्'	संभागीय कृषि यंत्री, इटारसी रोड पवारखेड़ा, नर्मदापुरम्
3	इन्दौर संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, इन्दौर''	संभागीय कृषि यंत्री, कार्यालय कौशल विकास केन्द्र (कृषि अभियांत्रिकी) रिग रोड, हंस टेवल्स के पास, पिपलियाहाना, मूसा-खेड़ी, इंदौर

4	उज्जैन संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, उज्जैन''	संभागीय कृषि यंत्री, उज्जैन, कोठी रोड अटल गार्डन के सामने उज्जैन
5	रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, सतना''	संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, पन्ना रोड़ सतना, दूरभाष - 07672-222223
6	जबलपुर संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर''	संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर, दूरभाष -0761-2680928
7	सागर संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, सागर''	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, बीहड़ कृष्यकरण योजना, सागर संभाग, कृषि अभियांत्रिकी परीसर, पुरानी तहसीली के पास बरिया तिगड्डा, न्यू ऑफिसर कालोनी सागर, पिन कोड 470002
8	ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, ग्वालियर'	संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़, ग्वालियर, दूरभाष - 0751-2364595

3. योजनांतर्गत एक ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) दिये जाने का प्रावधान है। ग्रामों के संबंध में अंतिम निर्णय संबधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जायेगा। एफपीओ का आवेदन उसके चयनित अध्यक्ष के माध्यम से ही भरा जावेगा।

4. जिले एवं विकासखण्ड हेतु उपयुक्त पाये गये ऑन-लाईन आवेदनों की श्रेणीवार (सामान्य, अनु.जाति, अनु.जनजाति तथा एफपीओ) प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित प्राथमिकता सूचियों अनुसार ही आवेदकों को जिले एवं विकासखण्ड के लक्ष्य अनुसार कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) स्थापित करने के विचार क्षेत्र में लिया जायेगा।

5. अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री कार्यालय में **दिनांक 24-25 अगस्त 2026** को कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा। उक्त दिनांक को केवल लक्ष्य अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के अभिलेखों का ही सत्यापन किया जायेगा। अन्य आवेदकों को भविष्य में सूचना देकर बुलाया जावेगा। सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑन-लाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये मूल बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। अभिलेखों के सत्यापन हेतु जिलेवार निर्धारित दिनांकों की जानकारी **परिशिष्ट-4** पर है। इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची (जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो), जाति प्रमाण-पत्र डिजीटल एवं मूल प्रति (केवल अनु.जाति एवं ज.जाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाण-पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड अथवा ऋण पुस्तिका) सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगे। एफ.पी.ओ के कृषक समूह को अपने पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्यकारिणी/गवर्निंग बॉडी का विवरण, अध्यक्ष का आधार कार्ड व अन्य विवरण प्रस्तुत करना होगा। अभिलेख परीक्षण न कराने अथवा मूल बैंक ड्रॉफ्ट जमा न कराये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

6. योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है (प्रकरण को बैंक में भेजने के बाद) अथवा केन्द्र स्थापित कराने में असफल होता है, तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी।

7. संभाग में लॉटरी से चयनित आवेदकों हेतु दिनांक **31 अगस्त 2026** को कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधी एक दिवसीय मार्गदर्शी शिविर का आयोजन किया जायेगा।

8. लॉटरी से चयनित आवेदकों को सी.ए. के माध्यम से बनाए गए अपने प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में मार्गदर्शी शिविर के आगामी **10 दिवस** में प्रस्तुत किये जाने होंगे। जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्टों को परीक्षण उपरान्त भारत सरकार के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत आवेदन कराया जायेगा। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजनान्तर्गत हितग्राही को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी प्राप्त होता है तथा भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की कोलेटरल गारंटी भी दी जाती है। यह दोनों सहायता कस्टम हायरिंग योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले 40 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त होती है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित बैंक अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। यदि भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त नही होती है तो ऐसे आवेदकों

को केवल कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) का 40 प्रतिशत का अनुदान ही प्राप्त होगा। आवेदकों के प्रकरण कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा सीधे संबंधित बैंक को अग्रेषित किये जायेंगे। आवेदकों को बैंकों से ऋण स्वीकृति एवं मार्जिन मनी जमा होने की सूचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने/भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अन्दर कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी । निर्धारित समयावधि में प्रकरण की स्वीकृति की सूचना बैंक से प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किया जा सकेगा। बैंक में मार्जिन मनी जमा होने के उपरान्त हितग्राही को शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। प्रशिक्षण में एक बार चयन होने के उपरान्त आवेदक को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होना होगा, उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिये पृथक से कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी। प्रशिक्षण उपरान्त आवेदकों द्वारा केन्द्र की स्थापना किये जाने पर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही संपादित की जायेगी तथा सत्यापन में उपयुक्त पाये गये प्रकरणों में बैंक को **''क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) ''** के रूप में शासन अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

पात्रता एवं शर्तें:-

1. योजनांतर्गत हितग्राही को स्वयं के गांव में कृषि कार्यों हेतु कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाना है। कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) के माध्यम से हितग्राही द्वारा कृषकों को कृषि कार्यों हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें दी जाना होगी।
2. प्रत्येक कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों से संबंधित कृषि मशीनों के क्रय की लागत (अधिकतम राशि रू. 25.00 लाख) पर **आवेदकों (सामान्य, अ.जा. एवं अ.ज.जा. एवं एफ.पी.ओ.) को 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक** का ''क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy'' अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना **अतंर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2025 में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी।**
3. प्रदेश के जिन जिलों में कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) की संख्या अल्प है, वहां यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु उस जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में लक्ष्य प्रदाय किये जा रहे हैं। ऐसे कुल 19 जिलों हेतु **कुल 258** लक्ष्य (सामान्य के **कुल-86**, अनुसूचित जन जाति के **कुल-86**, अनुसूचित जाति के **कुल-86**) आरक्षित किये गये है, जिनकी जानकारी परिशिष्ट- 1 में संलग्न है। इन जिलों से प्राप्त आवेदनों की लॉटरी विकासखण्डवार एवं श्रेणीवार की जावेगी। लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे।
4. शेष 36 जिलों हेतु **कुल 742** कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) (सामान्य के **कुल-468**, अनुसूचित जन जाति के **कुल-123**, अनुसूचित जाति के **कुल-96** तथा एफपीओ के **कुल-55**) हेतु लक्ष्य संधारित किये गये हैं, जिनकी जानकारी परिशिष्ट-2 में संलग्न है। इन जिलों से प्राप्त आवेदनों की लॉटरी जिलेवार एवं श्रेणीवार की जावेगी। लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे।
5. कृषि यंत्र किराए की दुकान(CHC) राशि रू. 10 लाख से अधिक तथा 25 लाख तक की लागत का स्थापित किया जा सकेगा।
6. बैंक ऋण के आधार पर केन्द्र स्थापित किया जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
7. अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा जो हितग्राही द्वारा बैंक-ऋण की पूर्ण अदायगी किये जाने के उपरान्त हितग्राही के खाते में समायोजित होगा।
8. योजनान्तर्गत आवेदकों को न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
9. योजनांतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों की उम्र दिनांक **01 अगस्त 2026** को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
10. पूर्व से ही शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत् अथवा अन्य शासकीय योजना (भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ''एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड'' (ए.आई.एफ.) योजना को छोड़कर) से रोजगार हेतु लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगें। जानकारी गलत पाये जाने पर संबंधित का प्रकरण निरस्त योग्य होगा।
11. भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ''एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड'' (ए.आई.एफ.) योजना को इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। ए.आई.एफ. योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट को 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान तथा कोलेटेरल हेतु सीजीटीएमएसई अंतर्गत भारत सरकार की गारंटी प्राप्त होती है। यह लाभ कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) स्थापना हेतु प्राप्त 40 प्रतिशत तक के अनुदान के अतिरिक्त होता है। कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) की योजनान्तर्गत प्राथमिकता सूची में आये आवेदकों को ए.आई.एफ. योजनान्तर्गत पृथक से आवेदन भारत सरकार के पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाने होते है जिनमें पात्र पाये जाने पर ए.आई.एफ. के भी लाभ प्राप्त होते है।

12. एक ग्राम में एक ही कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) स्थापित किया जायेगा। जिन ग्रामों में 01 अप्रैल 2017 के पूर्व जिसमें कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) स्थापित किया जा चुका है, उन ग्रामों में पुनः केन्द स्थापित किया जा सकता है। पूर्व के केन्द्रों व ग्रामों की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सबसिडी से तात्पर्य यह है कि शासन द्वारा अनुदान बैंक को दिया जायेगा। अनुदान का समायोजन हितग्राही द्वारा बैंक के ऋण को पूर्ण रूप से चुकाने के बाद हितग्राही के खाते में किया जावेगा। इस अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी को कुल प्रोजेक्ट राशि से घटाने के उपरांत बची शेष राशि पर ही बैंक द्वारा ब्याज लिया जायेगा। हितग्राही द्वारा बैंक ऋण वापस न करने की स्थिति में (डिफाल्टर घोषित होने पर) अनुदान राशि उसे नहीं दी जायेगी तथा इस राशि को भी ऋण मानते हुये बैंकों द्वारा पूरी राशि की वसूली हितग्राही से की जायेगी।)
13. एक परिवार/एक एफ.पी.ओ. को एक से अधिक कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। अन्य योजनाओं अंतर्गत स्थापित कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) को भी इस योजना अंतर्गत केन्द्र आवंटन के समय ध्यान में रखा जावेगा।
14. आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है, उसी जिले से आवेदन करना अनिवार्य होगा।
15. व्यक्तिगत आवेदक की स्थिति में जिस ग्राम में केन्द्र स्थापित किया जाना है आवेदक को उस ग्राम का निवासी (निवासी प्रमाण-पत्र आवेदन दिनांक से 6 माह की अवधि का हो) होना अथवा उस ग्राम में स्वयं या माता-पिता के नाम से भूमि होने पर ही संबंधित ग्राम में केन्द्र के आवेदन हेतु पात्रता होगी।
16. आवेदक द्वारा जिस ग्राम में कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) स्थापित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, यदि उस ग्राम में पूर्व से ही कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) स्थापित है, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला नवीन ग्राम भी उसी विकासखण्ड में होना आवश्यक है। जिस नवीन ग्राम का चयन आवेदक द्वारा किया जाये, वहॉ आवेदक अथवा आवेदक के माता-पिता नाम पर भूमि होना आवश्यक है।
17. एफ.पी.ओ. मध्यप्रदेश में ही पंजीकृत होना चाहिए। विगत दो वर्षों से लाभप्रद एवं न्यूनतम 300 किसान सदस्य आवश्यक है। एफ.पी.ओ. का आवेदन उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र मे उल्लेखित जिले हेतु ही मान्य होगा।
18. आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले के किसी बैंक शाखा से ही अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा। अन्य जिले में प्रकरण स्वीकृति हेतु नहीं भेजा जावेगा।
19. स्वीकृत बैंक ऋण में सबसिडी की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी।
20. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋणस्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।
21. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नही जा सकेगा। इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापस की जाना होगी।
22. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को हितग्राही द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी।
23. हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी। मशीनों/यंत्रों के रख-रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक/हितग्राही को स्वयं करनी होगी।

एक इकाई में रखी जाने वाली सामग्री/उपकरण निम्नानुसार होगी:-

श्रेणी (अ)- नरवाई (पराली) जलाने से प्रभावित जिलों हेतु कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) में अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र –नरवाई (पराली) जलाने से प्रभावित जिलों के नाम- **श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, रायसेन, अशोकनगर, भिण्ड, शिवपुरी, सीहोर, मैहर, गुना, पन्ना, दमोह, जबलपुर, नर्मदापुरम्, सिवनी, सतना, कटनी, नरसिंहपुर, रीवा, विदिशा**

1. ट्रैक्टर (50 PTO HP से अधिक)
2. मल्चर अथवा श्रेडर अथवा रीपर अथवा रीपर-कम-बाइंडर
3. स्ट्रॉ रीपर अथवा मल्टी-क्रॉप थ्रेशर
4. हैप्पी सीडर /सुपर सीडर/ स्मार्ट सीडर

5. रिवर्सिबल प्लाऊ अथवा डिस्क हैरो

श्रेणी (ब)- धान फसल बहुल्य जिलों हेतु कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) में अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र– जिलों के नाम- बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, नर्मदापुरम्, सतना, विदिशा, मण्डला, रीवा, शहडोल, कटनी, उमरिया,मैहर, रायसेन, सीधी, अनुपपुर, दमोह, डिण्डोरी, पन्ना, दतिया, श्योपुर, ग्वालियर

1. ट्रैक्टर (50 PTO HP से अधिक)
2. राइस ट्रांसप्लांटर (6 कतारों तक वॉक विहांइड) /डायरेक्ट राइस सीडर / जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
3. लेज़र लैंड लेवलर / मल्टी-क्रॉप थ्रेशर / धान थ्रेशर
4. रीपर अथवा रीपर-कम-बाइंडर
5. रिवर्सिबल प्लाऊ अथवा डिस्क हैरो

श्रेणी (स)- गन्ना फसल बहुल्य जिलों हेतु कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) में अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र– जिलों के नाम- बैतुल, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बड़वानी, नर्मदापुरम्, ग्वालियर, दतिया, जबलपुर, खरगोन

1. ट्रैक्टर (50 PTO HP से अधिक)
2. मल्चर /श्रेडर /रेटून मैनेजर / स्ट्रॉ रीपर
3. लेज़र लैंड लेवलर अथवा मल्टी-क्रॉप थ्रेशर
4. मल्टीक्रॉप प्लांटर अथवा शुगर केन कटर प्लांटर
5. रिवर्सिबल प्लाऊ अथवा डिस्क हैरो

श्रेणी (द)- अन्य फसल (गेहूँ, मक्का, सोयाबीन आदि) बहुल्य जिलों हेतु कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) में अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र – आगर-मालवा, अलीराजपुर, अनुपपुर, बड़वानी, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, डिण्डोरी, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर, मऊगंज, मुरैना, नीमच, निवाड़ी, पांढुर्णा, राजगढ़, रतलाम, सागर, शाजापुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन।

1. ट्रैक्टर (50 PTO HP से अधिक)
2. मल्चर अथवा श्रेडर अथवा स्ट्रॉ रीपर
3. मक्का थ्रेशर /लेज़र लैंड लेवलर / मल्टी-क्रॉप थ्रेशर
4. ब्रॉड बेड फरो प्लांटर अथवा रेज्ड बेज्ड प्लांटर अथवा मल्टीक्रॉप प्लांटर अथवा न्यूमेटिक प्लांटर
5. रिवर्सिबल प्लाऊ अथवा डिस्क हैरो

नोट:-

1. **आवेदक केवल 01 ट्रैक्टर का क्रय कर सकता है।**
2. **भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05 मई 2025 के दिशा निर्देशानुसार प्रत्ये क यंत्र (राशि रू. 1 लाख से अधिक) पर AI –powered telematic kit (GPS System) होना अनिवार्य है। जिसका वहन आवेदक द्वारा किया जावेगा। AI –powered telematic kit (GPS System) के बिना इन यंत्रों पर अनुदान देय नहीं होगा।**
3. **जिन जिलों के नाम एक से अधिक प्रोजेक्ट श्रेणी में हैं , ऐसे जिलों के हितग्राही अपनी इच्छानुसार उल्लेखित श्रेणी में से किसी एक श्रेणी का चयन कर सकते हैं।**

श्रेणी (द)- ऐच्छिक यंत्र - प्रोजेक्ट की लागत सीमा अंतर्गत यदि आवेदक चाहे तो स्थानीय तथा फसल की आवश्यकताओं को देखकर **परिशिष्ट-3** मे दी गई ऐच्छिक यंत्रो की सूची मे से यंत्रों का क्रय भी कर सकेगा परन्तु अधिकतम प्रोजेक्ट की लागत राशि रू. 25 लाख ही रहेगी।

प्रोजेक्ट अंतर्गत यंत्रों का क्रय संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत निर्माताओं के पोर्टल पर उनके पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं से किया जा सकेगा। क्रय किये जा रहे कृषि यंत्र, ट्रेक्टर के साथ मेचिंग के होना चाहिये तथा उनको पोर्टल पर दर्शायी दरों (पोर्टल हेतु अधिकतम दरें, **GST** सम्मिलित) से अधिक दर पर क्रय नहीं किया जा सकेगा। ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल में पंजीकृत निर्माताओं की सूची तथा अन्य विवरण कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की वेबसाईट **www.farmer.mpdage.org** पर उपलब्ध है।

24. कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) द्वारा केवल कृषि संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगे। वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तब अकृषि कार्य भी किया जा सकेगा।

25. भारत सरकार द्वारा कृषको को ऑनलाईन कृषि यंत्र किराये से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से "KRISHI MAPPER"/ MP Kisan App प्रारंभ किया गया है। अनुदान प्राप्त सभी हितग्राहियों को अपना पंजीयन भारत सरकार के

"KRISHI MAPPER"/ MP Kisan App पर करवाना अनिवार्य होगा। "KRISHI MAPPER"/ MP Kisan App पर पंजीयन की पुष्टि के बाद ही अनुदान भुगतान किया जावेगा।

26. कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को सही हालत में आवेदक द्वारा रखा जाना होगा तथा किये गये कार्यो का विवरण कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) द्वारा एक पंजी में संधारित करके रखा जाना होगा।

27. पात्रता एवं शर्तों के बिन्दु क्रमांक-8,9 एवं 12 एफ.पी.ओ. पर लागू नही होगें।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट-1

कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) के विकासखण्डवार लक्ष्य वर्ष 2026-27

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड की संख्या	लक्ष्य वर्ष 2026-27 हेतु			
			सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	TOTAL
1	पंडुरना	2	2	2	2	6
2	मऊगंज	3	3	3	3	9
3	सिंगरौली	3	3	3	3	9
4	मैहर	3	3	3	3	9
5	निवारी	2	2	2	2	6
6	बुरहानपुर	2	2	2	2	6
7	डिण्डोरी	7	7	7	7	21
8	श्योपुर	3	3	3	3	9
9	सीधी	5	5	5	5	15
10	अलीराजपूर	6	6	6	6	18
11	अनुपपुर	4	4	4	4	12
12	भिण्ड	6	6	6	6	18
13	शहडोल	5	5	5	5	15
14	छतरपुर	8	8	8	8	24
15	बडवानी	7	7	7	7	21
16	शिवपुरी	8	8	8	8	24
17	टीकमगढ़	4	4	4	4	12
18	उमरिया	3	3	3	3	9
19	पन्ना	5	5	5	5	15
लक्ष्यों का योग		**86**	**86**	**86**	**86**	**258**

नोट- :- प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकासखण्ड हेतु सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु एक-एक लक्ष्य रखा गया हैं।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) के जिलेवार लक्ष्य वर्ष 2026-27

क्रमांक	जिला	लक्ष्य वर्ष 2026-27 हेतु				
		सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	FPO	TOTAL
1	दतिया	13	3	2	1	19
2	गुना	13	3	2	1	19
3	ग्वालियर	13	3	2	1	19
4	आगर	13	3	3	1	20
5	मंडला	13	4	3	1	21
6	शाजापुर	13	3	2	1	19
7	रीवा	13	3	2	1	19
8	अशोक नगर	13	3	3	1	20
9	नीमच	13	4	3	1	21
10	झाबुआ	13	5	3	1	22
11	कटनी	13	3	2	1	19
12	मुरैना	13	4	3	1	21
13	बालाघाट	13	3	2	1	19
14	सिवनी	13	4	3	1	21
15	दमोह	13	4	2	1	20
16	नरसिहंपुर	13	3	2	1	19
17	खण्डवा	13	3	2	1	19
18	भोपाल	13	3	3	1	20
19	नर्मदापुरम	13	3	2	1	19
20	छिन्दवाडा	13	3	3	1	20
21	सागर	13	4	3	1	21
22	मंदसौर	13	4	3	1	21
23	रतलाम	13	4	3	1	21
24	सतना	13	3	3	1	20
25	रायसेन	13	3	3	1	20
26	खरगोन	13	5	3	1	22
27	राजगढ़	13	4	3	1	21
28	जबलपुर	13	3	3	1	20
29	देवास	13	3	3	1	20
30	सीहोर	13	3	3	1	20
31	इन्दौर	13	3	2	1	19
32	धार	13	3	3	1	20
33	विदिशा	13	3	3	1	20

कृषि यंत्र किराए की दुकान (CHC) के जिलेवार लक्ष्य वर्ष 2026-27

क्रमांक	जिला	लक्ष्य वर्ष 2026-27 हेतु				
		सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	FPO	TOTAL
34	उज्जैन	13	4	3	1	21
35	हरदा	13	3	3	1	20
36	बेतुल	13	4	3	1	21
37	पंडुरना	0	0	0	1	1
38	मउगंज	0	0	0	1	1
39	सिंगरौली	0	0	0	1	1
40	मैहर	0	0	0	1	1
41	निवारी	0	0	0	1	1
42	बुरहानपुर	0	0	0	1	1
43	डिण्डोरी	0	0	0	1	1
44	श्योपुर	0	0	0	1	1
45	सीधी	0	0	0	1	1
46	अलीराजपूर	0	0	0	1	1
47	अनुपपुर	0	0	0	1	1
48	भिण्ड	0	0	0	1	1
49	शहडोल	0	0	0	1	1
50	छतरपुर	0	0	0	1	1
51	बडवानी	0	0	0	1	1
52	शिवपुरी	0	0	0	1	1
53	टीकमगढ़	0	0	0	1	1
54	उमरिया	0	0	0	1	1
55	पन्ना	0	0	0	1	1
लक्ष्यों का योग		468	123	96	55	742

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट- 3

ऐच्छिक रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्रो/मशीनों की सूची

क्रं.	मशीन/स्वचलित कृषि यंत्र
1	हैप्पी सीडर
2	सुपर सीडर
3	रेज्ड बेड प्लान्टर
4	जीरो टिलेज सीड ड्रिल
5	वेजीटेबल प्लान्टर
6	पोटेटो प्लान्टर
7	शुगरकेन कटर-प्लान्टर
8	मल्टीक्राप प्लान्टर
9	ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर
10	काटन पिकर
11	ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर
12	पावर स्प्रेयर
13	ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर
14	लेजर लेण्ड लेवलर
15	स्ट्रॉरीपर
16	सीड ग्रेडर
17	पावरटिलर
18	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर
19	रीपर कम बाइन्डर
20	राईस ट्रांसप्लान्टर
21	पावर वीडर
22	बनाना (BANANA) फाइबर एक्सट्रैक्टर
23	एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर
24	स्ट्रॉ लोडर
25	रोटरी प्लाउ
26	डोजिंग अटैचमेंट
27	क्लीनर कम ग्रेडर
28	राईस मिल
29	दाल मिल
30	आईल एक्सट्रेक्टर
31	मिलेट मिल
32	ग्राईन्डर

नोट:- ऐच्छिक यंत्रो की सूची केवल उदाहरण स्वरूप है। आवश्यकतानुसार अन्य यंत्र जो ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रदर्शित है उनमें से चयनित किया जा सकता है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट-4

अभिलेखों के सत्यापन हेतु जिलेवार निर्धारित तिथिया

क्रं.	संभाग	निर्धारित तिथि	जिलों का नाम
1	भोपाल	24-08-2026	भोपाल, विदिशा एवं रायसेन
		25-08-2026	राजगढ़ एवं सीहोर
2	नर्मदापुरम्	24-08-2026	होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल
3	इन्दौर	24-08-2026	इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर एवं धार
		25-08-2026	खरगौन, बड़वानी, खण्डवा एवं बुरहानपुर
4	उज्जैन	24-08-2026	देवास, शाजापुर एवं आगर-मालवा
		25-08-2026	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर एवं नीमच
5	ग्वालियर	24-08-2026	ग्वालियर, दतिया, भिण्ड एवं मुरैना
		25-08-2026	श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर एवं गुना
6	सागर	24-08-2026	सागर, दमोह एवं पन्ना
		25-08-2026	छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी
7	जबलपुर	24-08-2026	जबलपुर,कटनी,छिन्दवाड़ा,पांदुर्णा एवं सिवनी
		25-08-2026	मण्डला, नरसिंहपुर, बालाघाट एवं डिण्डोरी
8	रीवा-शहडोल	24-08-2026	रीवा, सतना, मैहर, सीधी एवं सिंगरौली
		25-08-2026	उमरिया, मऊगंज,शहडोल एवं अनूपपुर

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल